

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरुस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गई है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की है। उक्त दुरुस्ती वस्तुतः लिपिक त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरुस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1	इन्दर पल्लु काना व शुगनी बेवा काना कौन नाई सा. देह खातेदार इन्दर पल्लु काना का हि. शहि श्री. अ. वी. ग्रा. व. गोयला मूर्तडीन	मिला 7 583	2.19 ई.	इन्दर पल्लु काना व शुगनी बेवा काना कौन नाई सा. देह खातेदार इन्दर पल्लु काना का हि. शहि ^{वडा} रिजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोयला मूर्तडीन। शैब अदरपुर।	मिला 7 583	2.19 ई.

20/10/2018 18 दिनांक 7-5-18
 जिलाधिकारी के पालनाथ
 1) तहसीलदार
 2) पत्नी (हल्का गोयला)

15
अध्याक्ष अधिकारी

लोक अदालत शिविर
 सखवाड़ (अजमेर)